न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 94/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00158)

व उनवानी प्रकरण:–

1. अनीस खॉ पुत्र अजीज खॉ जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर जरिये मुख्त्यार नामा लक्ष्मण सिहं पुत्र रामप्रकाश जाति कुशवाह निवासी शिवनगर पोखरा तहसील व जिला धौलपुर———————————— प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर ————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत सुपुर्दगी ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी. ए. 1778

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री इकराम खान अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ।

निर्णय दिनांक 5.3.2019

निर्णय

प्रार्थी लक्ष्मण सिहं पुत्र रामप्रकाश जाति कुशवाह निवासी शिवनगर पोखरा ने अनीस खॉ पुत्र अजीज खॉ जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर के मुख्त्यारनामा खास की हैसियत से एक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश वगैरा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्त ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी. ए. 1778 को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के उक्त वाहन टैम्पों नम्बरी आर. जे. 11 पी.ए.1778 को पुलिस थाना कोतवाली ने बिना बजह सबूत जब्त कर लिया है तथा कथित अपराध से उक्त वाहन का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी का वाहन बिना बजह थाना कोतवाली धौलपुर में करीब डेढ माह से खडा हुआ है और ज्यादा समय तक रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। प्रार्थी मुताविक आदेश अपनी सुपुर्दगी नामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी का वाहन गलत एवं झूँठा फसाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी. ए. 1778 को सुपुर्दगी में दिलाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के समर्थन में ऑटो का रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट की प्रमाणित प्रति, बीमा की प्रमाणित प्रति, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, एवं पॉवर ऑफ अर्टीनी की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पुलिस थाना कोतवाली से दूरभाष पर घरेलू गैस सिलेण्डरो से अवैध रूप से ऑटो (थ्री व्हीलर) में गैस रिफलिंग किये जाने की शिकायत की है वह झूठी व मनगन्ढत हैं। प्रार्थी का ऑटो गंगासिहं पुत्र राजाराम के मकान मनोहर विहार कॉलोनी 132 के0 बिजली घर के पास बाडी रोड धौलपुर की दुकान के बाहर खडा था। कोई गैस रिफिलिंग नहीं करा रहा था। ऑटो करीब 5 माह से थाना कोतवाली धौलपुर में जब्त है। ऑटो की आमदनी से ही प्रार्थी व उसके परिवार का घरेलू खर्च चलता था । इसके अलावा प्रार्थी की आमदनी का ओर कोई जरिहा नहीं है। अतः प्रार्थी के जब्तशुदा ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी.ए.1778 को सुपुर्दगी में दिलाये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विरूद्ध सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश वगैरा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में उक्त ऑटो जब्त किया गया है। ऑटो चालक ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करा रहा था। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश में फर्द मौका दिनांक 12.10.2018 से होती है। फर्द मौका में ऑटो के चालक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह उक्त प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 से ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैर रिफिलिंग करा रहा था । यदि ऑटो (थ्री व्हीलर) को सुपुर्दगी में दिया गया तो अन्य ऑटो मालिकों/चालकों का भी यह कृत्य करने का साहब बढेगा । अनाधिकृत रूप से गैस रिफिलिंग कर ऑटो का संचालन करना किसी भी अनहोनी घटना को आमंत्रित करना है। यदि ऑटो को राजसात नहीं किया गया तो अन्य ऑटो मालिक/ चालकों का यह

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

दुस्साहस कार्य करने का मनोवल बढेगा । अतः जब्त शुदा ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी. ए. 1778 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह तथ्य सही है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश वगैरा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रार्थी का ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी. ए. 1778 को घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस रिफिलिग करते हुए जब्त किया गया है। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश में फर्द मौका दिनांक 12.10.2018 से होती है। फर्द मौका में ऑटो के चालक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह उक्त प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 से ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैर रिफिलिंग करा रहा था । यदि ऑटो (थ्री व्हीलर) को सुपुर्दगी में दिया गया तो अन्य ऑटो मालिकों/चालकों का भी यह कृत्य करने का साहब बढेगा । अनाधिकृत रूप से गैस रिफिलिंग कर ऑटो का संचालन करना किसी भी अनहोनी घटना को आमंत्रित करना है। यदि ऑटो को राजसात नहीं किया गया तो अन्य ऑटो मालिक/ चालकों का यह दुस्साहस कार्य करने का मनोवल बढेगा ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एवं जब्त शुदा ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी ए 1778 को राजसात किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं । न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2018 सरकार बनाम दुर्गेश वगैरा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्त ऑटो (थ्री व्हीलर) नम्बर आर. जे. 11 पी ए 1778 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं थानाधिकारी कोतवाली धौलपुर को भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नेहा गिरि

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)